क्रम-संख्या–12

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 10 फरवरी, 2024

माघ 21, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक शिकायत अनुभाग–5

संख्या 153 / चौंतीस–लो0शि0–5–2024–20लो0शि0–2023

लखनऊ, 8 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प0आ0–22

चूँकि आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016), (जिसे आगे "उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4(4)(ख) (एक),में संसद द्वारा बनाये गये किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अधीन स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन कराने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है;

और, चूँकि, भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 बनायी है जिसके अधीन राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने की अनुज्ञा प्राप्त कर सकती है;

और, चूँकि, भारत सरकार ने अपने शासकीय पत्र फाइल संख्या K–11022/653/2017–यू0आई0डी0ए0आई0 (ऑथ–दो)/3848, दिनांक 4 नवम्बर, 2022 द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन को, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) की धारा 142(1) के उपबन्ध के अधीन पहचान के प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रचालित इण्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल और मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के निमित्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत करा दिया है;

अतएव, अब, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पहचान के प्रयोजन के लिए, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन (लोक शिकायत अनुभाग–5) द्वारा संचालित इण्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल एवं मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन के निमित्त मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन को अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन (लोक शिकायत अनुभाग–5) पहचान की पद्धतियाँ पृथक–पृथक अधिसूचित करेगा, यदि दावेदार अपने आधार का उपयोग करते हुए अधिप्रमाणन कराना न चाहता हो।

दावेदारों से संगृहीत किए जाने वाले सहमति प्रपत्र इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट है।

आज्ञा से,
एस0पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची "क"

सम्भावित डेटा साझाकरण के लिए प्रयोजनों की सूचना के लिए प्रपत्र–

1–मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016), और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन यथा बाध्य मेरी आधार संख्या, फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन (लोक शिकायत अनुभाग–5) द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एकत्र की जा रही है:–

(एक) आधार अभिप्रमाणन प्रणाली के माध्यम से मेरी पहचान को अधिप्रमाणित करना;

(दो) आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) के अधीन सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अधिप्रमाणन के उपरान्त इण्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना;

(तीन) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) के अधीन संचालित सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों, जो विद्यमान हैं और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए मेरी पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन से मेरी पहचान सत्यापित करने हेतु मेरी आधार संख्या और जनसांख्यिकीय जानकारी और फोटोग्राफ को साझा करना।

2–मैं समझता/समझती हूँ कि मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन (लोक शिकायत अनुभाग–5) इस प्रपत्र के पैरा 1(एक)–(तीन) में सूचीबद्ध समस्त या किसी प्रयोजन के लिए मेरी आधार संख्या, फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय जानकारी युक्त आधार–सीडेड डेटाबेस तैयार करेगा और मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन (लोक शिकायत अनुभाग–5) यह सुनिश्चित करेगा कि लागू विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसी जानकारी की रक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तन्त्र स्थापित किए गए हैं।

3–मुझे इस प्रपत्र के पैरा 1(एक)–(तीन) में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए आधार आधारित अधिप्रमाणन और इसके उपरान्त इस प्रपत्र के पैरा 2 में वर्णित आधार–सीडेड डेटाबेस के निर्माण के लिए अपनी आधार संख्या, फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4–मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रदान की गई मेरी 'अनापत्ति' परिवर्तनशील रहेगी और मुझे भविष्य में किसी भी समय इसे वापस लेने का अधिकार है, जिसके लिए मेरे द्वारा संसूचित किया जाएगा।

व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति–

मैं....., एतद्द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन (लोक शिकायत अनुभाग–5) के इण्टीग्रेटेड सेवा पोर्टल और मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल के डेटाबेस बनाने के लिए एवं शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किए जाने, पहचान निर्धारित किए जाने एवं अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/सेवाओं/शासकीय/अर्ध–शासकीय डेटाबेसों में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस डेटाबेस का उपयोग उपरोक्तानुसार विभिन्न योजनाओं, सेवाओं इत्यादि से लाभान्वित करने एवं/अथवा मेरी पहचान तय करने के लिए किया जाएगा।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 153/XXXIV-L.S.5–2024-20L.S.-2023**,** dated February 8, 2024 :

No. 153/XXXIV-L.S.5–2024-20L.S.-2023

Dated Lucknow, February 8, 2024

WHEREAS section 4(4)(b)(i) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016), (hereinafter referred to as the "said Act"), allows performing authentication on voluntary basis under the provision of any other law made by the Parliament;

AND WHEREAS the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 under which the State Government can seek permission to use Aadhaar authentication on voluntary basis;

AND WHEREAS the Government of India *vide* its Official Letter F. No. K-11022/653/ 2017-UIDAI (Auth-II)/3848,dated 4th November, 2022 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh for using Aadhaar authentication on voluntary basis, for the purpose of identification under the provision of section 142(1) of the Code on Social Security, 2020 (Act no. 36 of 2020),for Integrated Service Portal and Chief Minister Relief Fund operated by Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Governor is pleased to allow Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5) to seek Aadhaar authentication on voluntary basis, for Integrated Service Portal and Chief Minister Relief Fund operated by the Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5), for the purpose of identification.

The Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5) shall separately notify the methods of identification in case the claimant does not intend to authenticate using his Aadhaar.

The consent form to be collected from the claimants is specified in Schedule "A" appended to this notification.

By order,
S.P. GOYAL,
Apar Mukhya Sachiv.

SCHEDULE "A"

Form for Intimation of Purposes for prospective data sharing-

1. I understand that my Aadhaar number, photograph and demographic information, as understood under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) and rules and regulations framed thereunder, is being collected by Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5)for the following purposes :-

(i) authenticating my identity by way of the Aadhaar authentication system;

(ii) registering on the Integrated Service Portal, after authentication, for availing subsidies, benefits and services under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016);

(iii) sharing of my Aadhaar number and demographic information and photograph, for verifying my identity for the purpose of determining my eligibility across Government welfare programmes, which are in existence and for future programmes, run by the Central Government and State Governments under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016).

2. I understand that the Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5) shall create an Aadhaar-seeded database containing my Aadhaar number, photograph and demographic information for all or any of the purposes enlisted in paragraphs 1(i)-(iii) of this form, and that the Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5) shall ensure that requisite mechanisms have been put in place to ensure safety, security and privacy of such information in accordance with applicable laws, rules and regulations.

3. I have no objection to provide my Aadhaar number, photograph and demographic information for Aadhaar based authentication for the purposes enlisted in paragraphs 1(i)-(iii) of this form and further for creation of an Aadhaar-seeded database as described paragraph 2 of this form.

4. I also understand that my 'no-objection' accorded in this form is revocable and I have the right to withdraw the same at any time in future, through a communication of opting out.

Consent For Using Personal Data-

I……., hereby give consent to use my personal data available with different schemes/programmes/services/Government/Quasi-Government databases for creation of Integrated Service Portal and CM Relief Fund database of Chief Minister Office, Government of Uttar Pradesh (Lok Shikayat Anubhag-5) and for availing Government services, benefits under Government schemes, establishing identity and/or other purposes. I am aware that this database shall be used for above purposes to provide benefits of different schemes/programmes/services *etc.* and/or to establish my identity.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1104 राजपत्र–2024–(3090)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 लोक शिकायत–2024–(3091)–100 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।